पत्रांक –1प्रा0आ0–36/2002/ 4154 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 18/9/13

विषयः– **विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2012 द्वारा संसूचित वर्ष 2010–15 तक के लिए दिनांक–01.04.2012 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (SDRF/NDRF) निर्धारित साहाय्य मानदर में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2011–एन0डी0एम0–I दिनांक– 16.01.2012 द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष/नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड के व्यय हेतु संसूचित मानदर को दिनांक–19.03.2012 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2012 द्वारा दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से राज्य में लागू किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2013–एन0डी0एम0–I दिनांक–21.06.2013 द्वारा पूर्व में संसूचित मानदर के क्रम संख्या–1 (ड़) , 5 (I) B (क) एवं (ख) तथा 5 (II), 6 (II) एवं (III) तथा 9 (a) (i) में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा किये गये संशोधन को दिनांक–30.07.2013 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में उक्त संशोधन को राज्य में दिनांक–15.08.2013 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह मानदर दिनांक–15.08.2013 तथा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा :–

भारत सरकार के पत्र सं0– पत्र सं0–32–3/2013/एन0डी0एम0–1 दिनांक–21.06.2013 द्वारा अद्यतन संशोधित मानदर/ **Norms of Assistance**

क्र0 सं0	मद का नाम/**ITEM**	भारत सरकार के पत्र सं0–32–3/2013/एन0डी0एम0–1 दिनांक– 21.06.2013 द्वारा अद्यतन संशोधित मानदर/ **Norms of Assistance**	अभ्युक्ति
1	**GRATUITOUS RELIEF/** अनुग्रह अनुदानः–		
	e) Gratuitous relief for families in dire need of immediate sustenance after a calamity. GR to be provided to those who have no food reserves, or whose food reserves have been wiped out in a calamity, and who have no other immediate means of support.	**Rs.40** per adult and **Rs. 30** per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise.	

		Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/ pest attack	
	(ड) प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को तत्तकाल अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता जिनके पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गये है और उन्हें तत्काल सहायता के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।	₹ 40.00 प्रति व्यस्क एवं ₹ 30.00 प्रति बच्चा जो राहत शिविर में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि (i) इन व्यक्तियों के पास खाद्यान्न नहीं है या प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो गए हैं। (ii) चिन्हित लाभार्थी राहत शिविर में नहीं रहे हैं। वैसे लाभार्थियों तक जिलावार पहुँचने के लिए राज्य सरकार आधार एवं प्रकिया तय की जायेगी। ➢ अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली वार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा/ कीट आक्रमण के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।	
5	**AGRICULTURE/ कृषि**		
(i)	**Assistance to small and marginal farmers./** लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहाय्य		
B	**Input subsidy (where crop loss is 50% and above)/** इनपुट सब्सिडी (जहॉ फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।)		
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	**Rs. 4,500/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. **Rs. 9,000/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs.750 and restricted to sown areas.	
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 4,500/- प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 9,000/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई	

		आधारित फसल क्षेत्र के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 750/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी।	
	b) Perennial crops	**Rs. 12,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to minimum assistance not less than Rs.1500/- and restricted to sown areas.	
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 12,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए। बुआई वाले क्षेत्र के लिए साहाय्य राशि 1500/–रू0 से कम नहीं दी जाएगी ।	
(ii)	**Input subsidy to farmers other than small and marginal farmers**	**Rs.4500/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. **Rs.9000/-** per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown area. **Rs.12000/-** per hectare for all types of perennial crops. and restricted to sown areas - Assistance may be provided where crop loss is 50% and above, subject to a ceiling of 1 ha. per farmer and upto 2 ha per farmer in case of successive calamities irrespective of the size of holding being large	
(ii)	लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि इनपुट सब्सिडी।	₹ 4,500/– प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए एवं बुआई क्षेत्र के लिए सीमित। ₹ 9,000/– प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए एवं बुआई क्षेत्र के लिए सीमित। ₹ 12,000/– प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए एवं बुआई क्षेत्र के लिए सीमित। 50% एवं अधिक फसल क्षति होने पर 1 हेक्टेयर प्रति कृषक, अनुवर्ती आपदा के मामले में 2 हेक्टेयर प्रति कृषक चाहे जमीन का आकार कैसा भी हो।	
6	**ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/** पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता		
	ii) Provision of fodder / feed concentrate including water supply and medicines in cattle camps.	Large animals- **Rs. 50/-** per day Small animals- **Rs. 25/-** per day,	पूर्व में प्रचारित मानदर के मद/ क्रम संख्या–6 पशुपालन–

		Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team, (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता के कम संख्या (ii), (iii) एवं (iv) को मिलाकर संशोधित मानदर के मद/ कम संख्या 6(ii) में "Provision of fodder / feed concentrate including water supply and medicines in cattle camps." के अन्तर्गत रखा गया है।
	ii) पशु शिविरों में पशुचारा/feed concentrate/ पशु दवा एवं जलापूर्ति हेतु।	बड़ा पशु ₹ 50/– प्रतिदिन की दर से। छोटा पशु ₹ 25/– प्रतिदिन की दर से। अनुदान उपलब्ध कराने की समय सीमा एस0डी0आर0एफ0 के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा तथा एन0डी0आर0एफ0 के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार तय होगी। सामान्य स्थिति में सहायता 30 दिनों के लिए दिया जा सकता है जिसे जरूरत पड़ने पर पहली वार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है तथा सूखा के मामले में आवश्यकतानुसार इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक लागत के अनुसार, जो पशुधन गणना के अनुसार पशुओं के अनुमान के समनुरूप राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन0डी0आर0एफ0 के मामले में) पर आधारित होगी और दवाईयों व वैक्सीन की आवश्यकता आपदा संबंधित है यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.	
	iii) पशु शिविर के बाहर पशुचारे का परिवहन	वास्तविक परिवहन लागत के अनुरूप, राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आंकलन किया जाएगा	पूर्व में परिचारित मानदर में मद

		और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दल द्वारा अनुशंसा किया जाएगा । यह अनुदान पशु गणना के आकलन पर आधारित होगा।	संख्या– 6 (v) में रखा गया था।
9	**HOUSING/** अवास / मकान		
	a) **Fully damaged/ destroyed houses**		
	i) Pucca house	**Rs. 70,000/-** per house	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान		
	(i) पक्का मकान	₹ 70,000/- प्रति मकान	

विभागीय पत्रांक 1293 / आ0प्र0 दिनांक–17.04.2012 द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव